अधिसूचना

नई दिल्ली. 24 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1116(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23 मार्च , 2000 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 266(अ)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीनिवासन सर्विस ट्रस्ट, जयालक्ष्मी एस्टेट, 8 हादौस रोड, चेन्नई-600006 द्वारा तमिलनाडु के थिरूकुरूनगुडी,पादातेदु,इरात्ती तिरूपति और थिरूवकोल्लूर और कर्नाटक के केम्बल ग्रामों में ग्रामीण विकास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम

11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीनिवासन सर्विस ट्रस्ट, जयालक्ष्मी एस्टेट, 8 हादौस रोड, चेन्नई-600006 द्वारा तमिलनाडु के थिरूकुरूनगुडी,पादावेदु,इरानी तिरूपति और थिरूवकोल्लूर और कर्नाटक के कैम्पल ग्रामों में ग्रामीण विकास की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सौ सात लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 314-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)